राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डल

प्र.स. 01/2018

दिनांक : 14.01.2019

–:निर्णयः–

श्री मिठूसिंह पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) निवासी बांकली ने दिनांक 22.10.2018 को एक अनरजिस्र्टड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे पटवारी हल्का चांखेड़ को जांच हेतु भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.12.2018 को अपनी जांच रिपोर्ट मे बताया कि वसीयतकर्ता देबीलाल अविवाहित होकर फोत हो गया है, जिसका सजरा मे मौका पर्चा बनाकर प्रस्तुत किया।

दिनांक 17.12.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गए बाद तामील नोटिस शामिल पत्रावली किये गए। प्रकरण में दिनांक 03.01.2019 को वसीयत के गवाह श्री रामनारायण पुत्र नानुराम, दलपतसिंह पुत्र जगदीश, रतनसिंह, गोपालसिंह, शिवसिंह पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) के बयान दर्ज किये गए। बयान गवाहों के अनुसार वसीयतकर्ता देबीलाल पुत्र मोहनलाल भाटी अविवाहित फोत हो गया मृतक के कोई सन्तान नहीं थी व किसी को गौद नहीं रखा। गवाहों ने बताया की मृतक देबीलाल ने ये वसीयत हमारे सामने लिखी गई। जो मृतक ने अपने भाई मिठूसिंह के पक्ष मे लिखी थी, वसीयतकर्ता के परिवार के सदस्यों के भी बयान लिए गए जिसमें वसीयतकर्ता के भाई व भतीजो के बयान लिये गए जिसमें परिजनों ने बताया की यह वसीयत श्री मिठूसिंह के पक्ष में लिखी गई जो सही है। मृतक देबीलाल अविवाहित होकर कोई सन्तान नहीं थी व किसी को गौद भी नहीं रखा, वसीयतकर्ता की देखभाल व मृत्यु के बाद सामाजिक कार्य श्री मिठूसिंह द्वारा ही किये गए अतः श्री देबीलाल की वसीयत की भूमि श्री मिठू सिंह के नाम पर कर दी जाये, तो हमें काई आपत्ति नहीं है।

वसीयत के गवाह एवं वसीयतकर्ता के परिजनों के बयान के आधार पर वसीयतकर्ता अविवाहित फोत हो गया एवं वसीयतकर्ता स्व. देबीलाल के नाम की कृषि भूमि वसीयत के अनुसार श्री मिठूसिंह के नाम पर कर दी जावें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्री देबीलाल पुत्र मोहनलाल की कृषि भूमि श्री मिठूसिंह के नाम पर दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मेरे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार वसीयतकर्ता का अविवाहित होने की स्थिति में दिनांक 07.09.2018 को फ़ोत हो चुका है तथा उसके द्वारा एक मात्र वसीयत जो की गयी है। उसमें उसका आ.नं. 36 रकबा 3.15 बीघा, आ.नं. 441/1 रकबा 0.11 बीघा, आ.नं. 445/1 रकबा 1.09 बीघा, आ.नं. 1611/957 रकबा 1.00 बीघा कुल किता 4 रकबा 6.15 बीघा, श्री मिठूसिंह पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) के नाम पर की जाये। अतः उक्त वर्णित भूमि श्री मिठूसिंह पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

क्रियात्मक आदेश

वसीयतकर्ता स्व. देबीलाल पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) के नाम ग्राम बांकली में स्थित कृषि भूमि आ.नं. 36 रकबा 3.15 बीघा, आ.नं. 441/1 रकबा 0.11 बीघा, आ.नं. 445/1 रकबा 1.09 बीघा, आ.नं. 1611/957 रकबा 1.00 बीघा कुल किता 4 रकबा 6.15 बीघा, श्री मिठूसिंह पुत्र मोहनलाल भाटी (दरोगा) के नाम दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का चांखेड़ को आदेशित किया जाता है निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर पालना से अवगत करावें।

तहसीलदार माण्डल
तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner